

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 45/2020-केंद्रीय कर


नई दिल्ली, तारीख 09 जून, 2020

सा.का. नि.(अ)- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 193 (अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 10/2020 - केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में “31 मई, 2020” अंकों और शब्दों के स्थान पर “31 जुलाई, 2020” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 31 मई, 2020 से प्रवृत्त होगा।

(फा. सं. सीबीईसी-20/06/03/2020-जीएसटी)


(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण - मूल अधिसूचना सं. 10/2020 - केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 193 (अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था।